शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 सितम्बर 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति: एक राजनैतिक अध्ययन

डॉ.किशन यादव
एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
बुन्देलखण्ड कॉलेज
झांसी, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

महिलाओं की स्वतंत्रता, राजनीति में उनकी भागीदारी तथा समाज में उनके आगे आने अथवा पुरुषों से उनकी समानता आदि प्रश्नों के बारे में जब हम सोचते हैं तो समाज में महिलाओं की एक दयनीय स्थिति उभरकर सामने आती है। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक न रह सकी और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन का प्रारंम्भ हुआ तथा विश्वभर में नारी सशक्तिकरण की चर्चा की जाने लगी जिसके परिणामस्वरूप 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। भारत में आजादी के पूर्व और बाद में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये गए। अनेक कानूनों के द्वारा उन्हें अधिकार संपन्न बनाया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायतराज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

19वीं शताब्दी में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए जहां धार्मिक एवं सामाजिक सुधारकों ने अनेक प्रयत्न किये वहीं नवीन मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार ने भी विभिन्न कानून बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही महिलाओं को भारतीय समाज में और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में स्त्री-पुरूष समानता कानून (अनुच्छेद - 14) बनाया गया। इसके बाद अनेक अधिनियम जैसे 1955 का हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम तथा 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा आर्थिक अधिकारों के साथ-साथ सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसी के साथ 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला बाल विकास का गठन किया गया तथा 2001 में राष्ट्रीय महिला नीति बनाई गई जिसमें महिलाओं और उनके कल्याण से सम्बन्धित अनेक योजनायें एवं कार्यक्रम बनाये गये।

नारी सशक्तिकरण के इतने प्रयास महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और समाजिक स्थिति को बताते हैं, परन्तु राजनीति का क्षेत्र लम्बे समय से पुरुषों का रहा है तथा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की रही है।

महिलाओं की राजनीति में रूचि बढ़े इस उद्देश्य को लेकर 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा पंचायत और नगरपालिका स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने का निर्णय किया गया, जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। परन्तु तब से लेकर आज तक महिलाओं को

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 सितम्बर 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण सपना बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता का स्वरूप सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि में तीन प्रकार के पंचायत पदाधिकारियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पदाधिकारी हैं - सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मैम्बर। सत्ता के स्वरूप में अपनी स्थिति के कारण ये सभी निर्णय प्रक्रिया पर असर डालते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के इन लोकप्रिय जन प्रतिनिधियों का व्यवहार ही पंचायतों के निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए इनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक महत्वाकांक्षा, स्वंयसेवी संगठनों में भागीदारी, संबंधित पंचायतों की समस्याओं की समझ, ग्रामीणों से संपर्क और राजनीतिक निष्ठा के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श से निर्णय प्रक्रिया में आ रहे बदलावों पर प्रकाश पड़ेगा।

अध्ययन के उद्देश्य से सभाओं की कार्रवाइयों, पंचायत और जिला पंचायत कार्यालयों के रिकार्ड और वार्षिक रिपोर्ट आदि से दस्तावेजी जानकारियाँ एकत्र की गई। साथ ही समाचार-पत्रों की खबरों, पंचायतों से संबंधित लेखों, पुस्तकों, जनगणना आंकड़ों, राजनीतिक दलों के पर्चों और जिला गजट आदि को भी संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया गया। इस सबके बावजूद यह अध्ययन मूलतः साक्षात्कार अनुसूची और प्राप्त उत्तरों और व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर ही केंद्रित था।

पंचायतों के प्रकार

इन पंचायतों में ज्यादातर निम्न जातियों और निम्न वर्गों के लोग ही रहते हैं, जबकि कुछेक उच्च जातियों के लोग भी यहां रहते हैं। पिछले सालों में आबादी में वृद्धि तो हुई है लेकिन कई युवा सूरत, मद्रास और बंगलौर जैसे शहरों की तरफ प्रवास कर गए है। इस पलायन का मुख्य कारण पूरे वर्ष प्राप्त काम की अनुपलब्धता और इन बड़े शहरों एवं महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक आमदनी का होना ही है।

ग्रामों में हर जाति का समूह अलग टोलों में रहता है। इनके मकान अधिकतर मिट्टी और फूस की छतों से बने है। इनमें से कुछ मकान पक्की ईंटों से भी बने हैं, जिनमें ईंटों को मिट्टी से जोड़ा गया है। मकान बहुत ही छोटे हैं और गाय, बैल, बकरी, सुअर आदि पालतू जानवर इनके सामने ही बंधे रहते हैं। अधिकांश मकानों में किसी भी प्रकार की खिड़की या रोशनदान नहीं है। इनमें इतना अंधेरा रहता है कि दिन में भी मिट्टी के तेल के दीपक या टार्च की मदद के बिना काम नहीं चल सकता। कमरों में ट्रेन की बोगियों की तरह सिर्फ एक प्रवेश द्वार रहता है। अधिकांश मकानों में कुंआ या पीने के पानी का कोई साधन नहीं है, न ही इनमें शौचालयों की व्यवस्था है।

बड़े शहरों के पास स्थित होने के कारण इन गांवों के लोगों का शहरी लोगों से बराबर संपर्क रहता है। यहां के युवाओं में शहरी जीवन का प्रभाव उनके कपड़ों, खान-पान, मोटर-वाहन, रेडियों, टेलीविजन जैसी चीजों से साफ झलकता है।

इन ग्रामों में जाति सबसे प्रमुख कारक है, जिससे लोगों की सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति निर्धारित होती है। ब्राह्मण और करण जैसी ऊंची जाति के लोगों के पास अपेक्षाकृत ज्यादा भू-संपत्ति या व्यापार के साधन हैं जबकि निम्न जातियों के लोगों के पास बहुत कम भूमि है या फिर वे भूमिहीन हैं पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। रहने के इलाके भी जाति के हिसाब से बंटे हुए हैं। प्रत्येक जाति-समूह अलग-अलग गलियों में रहता है। हर गली का नामकरण जाति, व्यवसाय या धार्मिक संप्रदाय के आधार पर हुआ है। बाहर से आकर बसे लोग अपने मूल स्थान के नाम से पहचाने जाते हैं। आदिवासी बहुल

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 सितम्बर 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

गांवों में रहन-सहन उनकी मूल जाति के अनुसार है। गैर-आदिवासी लोग अलग जगहों पर रहते है। कुंओं, तालाबों, नदी के उपयोग जैसे रोजमर्रा के कामों में और सामाजिक उत्सवों के दौरान जाति प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता है। विवाह के अवसरों पर निम्न जातियों के लोग अलग से अपना मनोरंजन करते है और उच्च जाति के लोगों की सेवा करते रहते हैं। यह रोचक तथ्य है कि जाति-आधारित पृथक्करण को निम्न जातियों द्वारा कभी भी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। उन्हें इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव महसूस नहीं होता। ऊंची जातियों के लोग निम्न जातियों और आदिवासियों के सामाजिक उत्सवों में शामिल होते हैं और काफी सम्मान भी पाते हैं, परंतु वे इनका भोजन प्रायः नहीं खाते हैं। ग्रामों में सामुदायिक जीवन में एकता है परंतु जाति और दलगत भेद भी हैं। सत्ता की लड़ाई में गांव के प्रभावशाली लोग अपने समर्थकों का दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में मनमुटाव और दुश्मनी भी फैलाते हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यवहार और उद्देश्य, वर्ग चरित्र और सामाजिक उद्गम द्वारा ही निर्धारित होता है। वह उन सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिनमें वे शामिल होते हैं। निर्णायकों के बारे में किसी भी तरह का अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है, क्योंकि इसी से संस्थागत सत्ता संरचना की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इससे प्रभावशाली और कम प्रभाव वाले लोगों की भी पहचान होती है। जहां तक निर्णय लेने का संबंध है, सामाजिक पृष्ठभूमि इस पर काफी असर डालती है। कृषि-प्रधान ग्रामीण अर्थव्वस्था में लोकतांत्रिक संस्थाएं संचालित करना और उनकी मानसिकता को परिपक्व बनाना एक कठिन कार्य है। यही कारण है कि सामंतवाद और लोकतंत्र के मेल के बीच सामाजिक पृष्ठभूमि निर्णय प्रक्रिया को निर्धारित करती है।

राजनीतिक भागीदारी

महिला प्रधान पद के कारण उनका संपर्क ग्रामों के प्रभावशाली लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों से हुआ और उन्होंने ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लिया। इन सभी संपर्कों और गतिविधियों से उनके अंदर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना जाग्रत हुई। लेकिन निजी कारण जैसे कि राजनीतिक कामों में रूचि एवं स्वभाव ही उनके राजनीतिक आचरण और दृष्टिकोण पर ज्यादा प्रभावी है। अपने सहयोगियों, परिवारजनों और समाज के लोगों के सहयोग से बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होने से उनकी कार्यकुशलता और क्षमता में सुधार हुआ है। आर्थिक लाभ की वजह से भी उनकी सक्रियता में वृद्धि हुई है। नियमित भागीदारी से क्षमता विकास और हिस्सेदारी की ओर झुकाव पैदा करने के अवसर उपलब्ध हुए है।

राजनीतिक संपर्कों के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों को दो बड़े समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में बाहरी प्रभाव को रखा गया तो दूसरे में बाहरी प्रभाव को रखा गया तो दूसरे में निजी कारकों को। अधिकांश महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायतों में भागीदारी की प्रेरणा उन्हें दोनों ही कारणों से मिली। राजनीतिक भागीदारी का प्रमुख कारण स्थानीय राजनेताओं से संपर्क है। परिवारजनों ने भी इसके लिए उन्हें अतिरिक्त सहयोग दिया। इन्हीं सब बातों की वजह से उने अंदर पंचायती राज संस्थाओं में काम करने की

भावना मजबूत हुई, जिससे उन्हें घर और ग्रामों में अधिक सम्मान मिला और लोगों के लिए काम करने के अवसर भी उपलब्ध हुए।

इन महिला प्रतिनिधियों में से एक -तिहाई स्वयंसेवी संगठनों की सदस्य हैं और समाज-कल्याण, सांस्कृतिक, जाति, व्यापार और धर्म-संबंधी गतिविधियों में भाग लेती है। उनके राजनीति में प्रवेश में जाति/संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि जाति संगठन विशेष की सदस्य होने के कारण ही इन्हें पंचायतों में प्रतिनिधित्व का मौका मिला है।

वार्ड प्रतिनिधि प्रायः ग्राम की बहुसंख्य जाति के होते है। लेकिन कई ग्रामों में ब्राह्मण बहुमत में तो है, पर पंचायतों में उनके प्रतिनिधि नहीं हैं। इसका मुख्य कारण उच्च-जाति की महिलाओं का राजनीति में न उतरना है।

समस्याओं की समझ

पंचायतों और अन्य बैठकों के दौरान निजी चर्चा एवं प्रेक्षण से और चुनिंदा ग्रामवासियों तथा अधिकारियों के एकत्र विचारों से इन प्रतिनिधियों की ग्राम समस्याओं के बारे में समझ की झलक मिलती है। यद्यपि हर गांव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन उनकी समस्याएं बहुत हद तक समान है।

समस्याएं

पूरे साल रोजगार की कमी, पेयजल की सुविधा का अभाव, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, संचार सुविधाओं की कमी, विद्यालय और अस्पतालों की कमी, ग्राम स्तर पर अधिकारियों का असहयोग, नागरिकों की कल्याण-कार्यों में दिलचस्पी कम होना, पशुओं के लिए चारे और स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी, भ्रष्टाचार एवं कार्यालयों में अनुपस्थिति।

सुझाव

संचार सुविधाओं की बेहतरी, वर्ष में कम से कम आठ माह के रोजगार की उपलब्धता, भ्रष्ट कर्मचारियों और विद्यालयों में न आने वाले शिक्षकों के लिए कठोर दंड, ग्राम स्तर पर कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए पंचायत सदस्यों को अधिक अधिकार एवं, सिंचाई सुविधाओं की बेहतरी।

निर्णय प्रक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं के निर्णयों पर व्यक्ति की स्थिति या निर्णायक समिति में उनके महत्व का बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा कई विकल्पों में से सही विकल्प चुनने में भागीदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भागीदारी से सदस्य व्यक्ति की जानकारी और वास्तविक क्षमता में वृद्धि होती है जो अंततः निर्णयों को प्रभावित करते है। निर्णय लेने वाले प्रभावशाली लोगों की पहचान के लिए इस अध्ययन में तीन कारक लिए गए है - स्थिति संबंधी, प्रतिष्ठा संबंधी और निर्णय प्रक्रिया संबंधी।

पंचायतों में आने के बाद ग्रामवासियों के साथ उनका संवाद और अधिक होने लगा है। ग्रामीणों से उनकी समस्यओं के बारे में चर्चा कर उनकी समझ अधिक विकसित हुई है। ग्रामवासियों को इनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं है। पर वे जानते हैं कि अधिकारों के अभाव में वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकतीं। कई अवसरों पर इन महिला प्रतिनिधियों ने ग्राम या ब्लाक स्तर पर अपनी उपेक्षा भी महसूस की है।

अच्छे संकेत

पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण सत्ता का केन्द्र अभी तक पुरुष और उच्च जातियां ही रही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित होने से ही महिलाओ को इनमें प्रवेश मिल सका है। अभी भी पंचायतों

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 सितम्बर 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

में पुरुषों का वर्चस्व है क्योंकि लगभग सभी सरपंच पुरुष है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष भी पुरुष है। इन संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति जरूर हुई है। पर इनके सर्वोच्च पद पर वे अभी नहीं पहुच पाई हैं। जहां तक उनकी प्रतिष्ठा का मामला है, ग्यारह महिला प्रतिनिधियों को उनके महिला एवं पुरुष सहयोगियों ने प्रभावशाली स्वीकार किया है। यह सब उनकी उम्र, शैक्षिक स्तर, संगठनों में काम करने के उनके पुराने अनुभव, संपर्क और बेहतर संवाद क्षमता के कारण संभव हो पाया है। उनकी योग्यता और प्रभाव का एक कारण राज्य विधानसभा या राजनीतिक दलों के स्थानीय पढ़े-लिखे लोगों से संपर्क और मित्रता भी है। किसी भी प्रस्ताव के आरंभ से लेकर उसकी समूची प्रक्रिया में इन महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी और क्रियान्वयन समितियों में उनकी सदस्यता के चलते ही आज ये महिलाएं निर्णायक भूमिका वाले पदों पर पहुंची हैं। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की उनकी क्षमता इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने प्रक्रिया, क्रियान्वयन और पुनर्संचालन में दिलचस्पी ली है।

प्रारम्भ में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता निर्बल रही थी परन्तु पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखा जाये तो ज्ञात होता है कि वर्तमान में महिलाएं सत्ता में सहभागिता चाहती है और वे विधानसभा व संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग कर रही हैं। इसी कारण महिला सशक्तिकरण हेतु प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक सन् 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2005, 2010 में पेश किया गया, परन्तु इसके पारित न होने का प्रमुख कारण इसके पक्ष व विपक्ष के विभिन्न पहलु हैं जो एक मत निर्मित करने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक और उनके सम्पूर्ण बहुमुखी विकास से है जिससे कि महिलायें राजनीतिक विकास के साथ-साथ समाज में स्वयं का एक स्थान बना सकें। महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इस विधेयक पर आम राय कायम कर इसे संसद में पारित किया जाना चाहिये। पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता में काफी वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ

1 सुनील गोयल, भारतीय समाज में नारी, R.B.S.A पब्लिकेशन, जयपुर 2003

2 वृंदा करात, भारतीय नारी : संघर्ष और मुक्ति नाईस प्रिंटिग प्रेस, नई दिल्ली 2008

3 राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास (1800-1900), वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2005

4 ललित कुमावत, पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिशिंग नई दिल्ली 2004

5 सरला माहेश्वरी, नारी प्रश्न, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि. नई दिल्ली 1998

6 चेतन मेहता, महिला एवं कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1996

7 आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ आविष्कार पब्लिशिंग, जयपुर 2004

8 हरिमोहन धवन, महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, रावत पब्लिशेन आगरा 1998

9 जगदीश चन्द्र जैन, नारी के विविध रूप, ओरिएंट पब्लिकेशन बनारस 1978

10 सुधा रानी श्रीवास्तव, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमन वेल्थ पब्लिकेशन नई दिल्ली 1999